सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री रमई राम
मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

वर्ष 2012-2013
के बजट की मांग संख्या - 40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का

वक्तव्य

मार्च, 2012

वर्ष 2012–13 के बजट की माँग सं0–40 पर

मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

भूमि प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था, भू–अभिलेखों का नियमानुसार कालवद्ध रूप में निर्माण एवं संधारण तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्ग के सदस्यों को आवश्यकतानुसार आवास एवं जीविकोपार्जन एवं भूमि उपलब्ध कराने तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के नेतृत्व में जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

सुशासन के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा समाज के महादलित वर्ग के साथ–साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए भूमि का सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़, प्रबंधन प्रारम्भ कर दिया गया है।

2. महादलित विकास योजना के अन्तर्गत अद्यतन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कुल–220729 वासरहित महादलित परिवारों को गैर मजरूआ मालिक/खास, गैर मजरूआ आम, बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत

बन्दोबस्ती एवं रैयती भूमि के क्रय द्वारा वास भूमि उपलब्ध कराये जाने का समग्र लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में गैर मजरूआ मालिक/खास भूमि की बन्दोबस्ती द्वारा कुल–14787 वास रहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें 386.58 एकड़ भूमि सन्निहित है।

गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 13010 वासरहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई गई है जिसमें सन्निहित रकबा 331.50 एकड़ है।

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 5975 वासरहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई गई है जिसमें सन्निहित रकबा 174.98 एकड़ है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में वैसे वासरहित महादलित परिवार जिन्हें गैर मजरूआ मालिक/खास, गैर मजरूआ आम, बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत बन्दोबस्ती द्वारा वास भूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, के लिए रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु कुल–3286.00 लाख रूपये का बजट उपबन्ध किया गया है। बजट उपबन्ध की कुल राशि–3286.00 लाख रूपए राज्य के सभी जिलों को वासभूमि उपलब्ध कराने के इस स्रोत में अवशेष परिवारों के आलोक में राशि आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में अबतक कुल–1390.00 लाख रूपये का व्यय कर कुल– 8847 वासरहित परिवारों के लिए प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि का क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया गया है जिसमें कुल सन्निहित रकबा 265.41 एकड़ है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि के क्रय द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराने की योजना में उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2011–12 में बजट उपबंध की राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिला को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2011–12 में अबतक व्यय की गयी राशि	भौतिक उपलब्धि	
			लाभान्वित परिवारों की संख्या	रकबा (एकड़ में)
3286.00	3286.00	1390.00	8847	265.41

(ii) गृहस्थल योजना

राज्य में सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति (महादलित को छोड़कर), अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर–I तथा एनेक्सर–II वैसे परिवार जिन्हें वासभूमि उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हें सरकारी भूमि अथवा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, के लिए 20,000.00 रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु गृहस्थल योजना राज्य में लागू हो गई है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1,500.00 लाख रूपए का आवंटन राज्य के जिलों को उपलब्ध कराया गया है। अबतक जिलों द्वारा कुल–204.00 लाख रूपए का व्यय कर कुल–1022 परिवारों को इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराई गई है।

गृहस्थल योजनान्तर्गत उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2011–12

वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2011–12 में अबतक व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	भौतिक उपलब्धि	
		लाभान्वित परिवारों की संख्या	रकबा (एकड़ में)
1500.00	204.00	1020	30.60

(iii) सम्पर्क सड़क योजना

सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत राज्य में वैसे ग्राम/टोले/मोहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रैयती भूमि के

अर्जन के लिए जिलों को वित्तीय वर्ष 2011–12 में 925.62 लाख रूपए आवंटित की गई है। आवंटित राशि के विरूद्ध अबतक 229.85 लाख रूपए का व्यय कर अबतक 114 योजनाएँ पूर्ण करते हुए 128 ग्राम/टोले/मोहल्ले को सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	पूर्ण हो गई योजनाएँ	ग्राम/टोले/मोहल्ले की संख्या जिन्हें सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया
925.62 लाख	229.85	114	128

(iv) सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजना

सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजनान्तर्गत राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए गृहस्थल हेतु रैयती भूमि के क्रय एवं अनुसूचित जाति के ग्रामों/टोलों/मोहल्लों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिए रैयती भूमि के अर्जन दोनों योजना में सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में वित्तीय वर्ष 2011–12 में 74.38 लाख रूपए का बजट उपबन्ध रहने के कारण अनुसूचित जाति के लिए गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु राज्य के जिलों में 74.38 लाख रूपए आवंटित कर दी गई है, जिसके विरूद्ध अबतक 1.5986 लाख राशि व्यय की जा चुकी है।

(v) बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 राज्य में लागू है। इस अधिनियम की धारा–4(1) के अधीन अध्यक्ष, सदस्य (न्यायिक) एवं सदस्य प्रशासनिक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2011–12 में की गई है तथा उनके द्वारा पदभार भी ग्रहण कर लिया गया है। भूमि न्यायाधिकरण को क्रियाशील करने हेतु कार्यालय/ पदाधिकारी/कर्मी/वाहन इत्यादि की व्यवस्था हेतु कार्रवाई की जा रही है।